न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 01/2017 (RCMS NO.- 2017/00070)

बंशीधर पुत्र बद्रीनारायण निवासी ग्राम गुढावास, ग्राम पंचायत नेवर तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.)

...अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती छोटा देवी पत्नी श्री रामकरण
2. श्रीमती मनफूली देवी पत्नी श्री महेशचन्द
3. श्रीमती विमला देवी पत्नी सीताराम
   समस्त जाति हरियाणा ब्राम्हण, निवासीयान भावनी खुर्द, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.)
4. तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.)
5. ग्राम पंचायत नेवर पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 30.12.2016
तहसीलदार, जमवारामगढ, जिला जयपुर।

उपस्थितः–
1. श्री राकेश बापलावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या–एक लगायत तीन की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.11.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 30.12.2016 जिससे नामान्तरकरण संख्या 80 ग्राम गुढावास नेवर, तहसील जमवारामगढ स्थित कृषि भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 4.26 हैक्टेयर का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट नं 1 लगायत 3 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.01.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 3 की ओर से श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पाडेन्ट संख्या–4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

दिनांक 30.12.2016 नामान्तकरण संख्या 80 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम गुढावास नेवर, तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी कुल किता 7 कुल रकबा 4.26 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार दुर्गालाल, जगदीशप्रसाद पिता नेहनूराम हिस्सा 1/3, ग्यारसा पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/3, महादेव कल्याण पिता भूरा, 1/6 प्रहलाद रमेश चन्द मोहनलाल गुलाबचंद पिता छोटू, नान्छी देवी पत्नी छोटू हिस्सा 1/2, नारायण लाल, रामकिशोर, रामप्रसाद, बंशीधर पिता बद्री हिस्सा 1/12 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से ग्यारसीलाल पुत्र रामगोपाल ने अपने हिस्से की 1/3 भूमि का बेचना रेस्पा. संख्या 1 लगायत 3 के हक में जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.08.2016 को कर दिया। उक्तोक्त विक्रय की गयी भूमि के नामान्तकरण हेतु रेस्पा. संख्या 1 लगायत 3 ने ग्राम पंचायत नेवर के समक्ष जरिये पटवारी हल्का नामान्तकरण संख्या 80 की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट ने उक्त नामान्तकरण के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र व सौ रूपये के स्टाम्प पर कब्जा पत्र प्रस्तुत कर नामान्तकरण नहीं खोले जाने बाबत आपत्ति दर्ज करायी। जिस पर ग्राम पंचायत नेवर द्वारा नामान्तकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए वार्ड पंचो की कमेटी गठित की एवं ग्राम पंचायत की आगामी बैठक दिनांक 05.01.2017 को होना निश्चित की जिससे पूर्व ही रेस्पा0 संख्या 4 द्वारा बिना किसी क्षेत्रधिकारिता के अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 30.12.2016 को तस्दीक कर दिया। अपीलाधीन नामान्तकरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत नेवर के समक्ष विचाराधीन होने के बाद बिना कोई जांच व कार्यवाही के आधार पर नामान्तकरण संख्या 80 तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा स्वीकृत कर दिया गया जो अवैधानिक है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलांट एवं अन्य सह खातेदारो एवं परिवारजनो का कब्जा पिछले 70–75 वर्षो से चला आ रहा है। ग्राम पंचायत नेवर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 21.11.2016 में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा माना है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियम विरूद्व जाकर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 80 आदेश दिनांक 30.12.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. तीन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर भरा जाकर रेस्पा. संख्या 1 लगा. 3 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपील अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा या अधिकार स्पष्ट हो। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 3 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाते है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 80 ग्राम गुढावास नेवर, तहसील जमवारामगढ के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 3 के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.12.2016 को स्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट यह साबित नहीं कर पाये है कि वह वादग्रस्त भूमि पर किस प्रकार से अपना हक व अधिकार रखते है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

अति जिला कलक्टर–प्रथम
जयपुर